UPMO280016232004

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- विनय कुमार जायसवाल (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा 2109)

दंडवाद सं०-3602626/2011

अ०सं०-574/2004

धारा-379/411 भा0 दं0 सं0।

थाना- जी.आर.पी. मुरादाबाद।

राज्य .....

बनाम

अभियुक्तगण .....

(1) विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी खाता थाना रजबपुर जिला जेपीनगर

(2) नीरज पुत्र दिनेश निवासी पपसरा थाना रजबपुर जिला जेपीनगर।

निर्णय

थाना-जी०आर०पी० मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-379, 411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम व परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र सिंह के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम व परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र सिंह का प्रस्तुत प्रकरण में विचारण किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादी मुकदमा अर्जुन सिंह दिनांक 19.07.2004 को समय 09.30 बजे रात्रि में आगरा पैसेन्जर पर अपने पिता जी को बैठाने आया था। वादी द्वारा अपनी मोटर साइकिल संख्या UP21-H-4917 को स्टेशन पर खड़ी की गयी थी। जब वादी मुकदमा वापस लौटा तो उसकी उक्त मोटर साइकिल अपने स्थान पर नहीं मिली। वादी मुकदमा द्वारा अपनी अपनी मोटर साइकिल को स्टेण्डों पर खोजा गया परंतु उसकी मोटर साइकिल नहीं मिला। वादी मुकदमा द्वारा अपनी उक्त मोटर साइकिल अपनी पत्नी सुमन के नाम से खरीदी गयी थी। वादी मुकदमा द्वारा अपनी मोटर साइकिल के चोरी होने के संबंध में थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद पर तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मामले को पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना की गयी। वादी मुकदमा की उक्त मोटर साइकिल थाना रजबपुर द्वारा अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम व परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र सिंह से बरामद की गयी। उक्त मोटर साइकिल को थाना रजबपुर से मुरादाबाद लाया गया तथा बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में धारा 411 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी। दौराने विवेचना गवाहान के बयान लिये गये। तमामी संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम व परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 379 /411 भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया।

Digitally signed by VINAY KUMAR JAISWAL
Date: 2024.09.17 17:03:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने पर प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम व परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र सिंह न्यायालय में हाजिर आए। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम व परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा-379/411 भा०दं०सं के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2005 को आरोप विचरित किया गया जिससे उन्होंने इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त परमेन्द्र के लगातार गैर हाजिर होने के कारण अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम की ओर से अपनी पत्रावली को परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र की पत्रावली से पृथक करने हेतु जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, नीरज पुत्र दिनेश, सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम की पत्रावली को अभियुक्त परमेन्द्र पुत्र राजेंद्र की पत्रावली से दिनांक 18.12.2012 को पृथक किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र नरोत्तम की मृत्यु होने के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्राप्त होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वरा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को दिनांक 14.08.2018 को उपशमित किया गया। तत्पश्चात प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण विजेंद्र सिंह उर्फ बब्लू व नीरज के विरुद्ध वाद की कार्यवाही को जारी रखा गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू-1 के रूप में अर्जुन सिंह (वादी मुकदमा), पीडब्लू-2 महेन्द्र पाल सिंह (विवेचक), पीडब्लू-3 के रुप में का0 बृजपाल सिंह तथा पीडब्लू-4 के रुप में जसवंत सिंह (सहायक लेखक) को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया। उपरोक्त परीक्षित साक्षीगण के अतिरिक्त पांच और अन्य साक्षीगण को आरोप पत्र में सूची गवाहान के रुप में अंकित किया गया है, जिनको न्यायालय में परीक्षित कराने हेतु न्यायालय की ओर से समन जारी किए गए परंतु उपरोक्त गैर हाजिर साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आए। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 28.02.2005 को आरोप विरचित किया गया। उसके पश्चात साक्षियों की उपस्थिति हेतु लगातार प्रोसेस निर्गत किए गए किंतु अभियोजन शेष किसी भी साक्षी को प्रस्तुत करने में असफल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण एक्शन प्लान की श्रेणी के अंतर्गत आती है तथा साक्ष्य के स्तर पर पिछले 19 वर्षों से इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिस पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा शेष साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराने हेतु समय की मांग की गयी। अभियोजन की प्रार्थना पर साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। पुनः अग्रिम दिनांक पर साक्षीगण न्यायालय में अनुपस्थित आए। अभियोजन द्वारा पुनः साक्षीगण को परीक्षित कराने हेतु एक अवसर की मांग की गयी। पूर्व की भांति अग्रिम नियत दिनांक को पुनः साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आए। मामले की प्राचीनता तथा पत्रावली के एक्शन प्लान की श्रेणी के अंतर्गत आने तथा अभियोजन को न्यायालय की ओर से साक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन के साक्ष्य को समाप्त किया गया। अभियोजन उपरोक्त परीक्षित साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराने में असफल रहा।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में घटना से इंकार करते हुए साक्ष्य सफाई से भी इंकार किया।

मैंने अभियोजन पक्ष व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए पीडब्लू-1 के रुप में अर्जुन सिंह (वादी मुकदमा) को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया कि दिनांक 19.07.2004 को 09.30 बजे रात में वह अपने पिता जी को आगरा पैसेन्जर में बैठाने आया था। उसने अपनी मोटर साइकिल संख्या UP21-H-4917 स्टेशन के सामने खड़ी कर दी थी। जब वह अपने पिता जी को बैठाकर लौट कर आया तो उसकी मोटर साइकिल गायब थी। उसने दोनों स्टेण्डों पर इधर-उधर तलाश किया नहीं मिली। उसकी मोटर साइकिल लाल रंग की थी। उसकी पत्नी सुमन यादव के नाम थी। जब मोटर साइकिल नहीं मिली तब उसने इस घटना की रिपोर्ट अगले दिन 20.07.2004 को थाने में लिख कर दी थी जो उसके हाथ की लिखी व दस्तखती है। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। करीब 2 माह बाद उसकी मोटर साइकिल उसे न्यायालय द्वारा मिली थी जो उसकी सुपुर्दगी में है तथा वह उसे न्यायालय में लाया है तथा इस पर वस्तु प्रदर्श क-1 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर दिया गया। इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि घटना करीब 02 साल पहले की है। फिर तीन साल कहा। उसने गाड़ी चुराते हुए मुल्जिमों को नहीं देखा था, न ही वह मुल्जिमों को जानता है और न ही उसने अपनी गाड़ी मुल्जिमों से बरामद की है। वह नहीं कह सकता कि मुल्जिमों को पुलिस ने क्यों फंसाया।

इस प्रकार पीडब्लू-1 वादी मुकदमा अर्जुन सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यद्यपि उसकी मोटर साइकिल की चोरी की घटना को तो साबित किया गया है परंतु वहीं अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने अभियुक्तगण को उसकी मोटर साइकिल को चोरी करते हुए नहीं देखा और न ही वह अभियुक्तगण को जानता है। उसकी मोटर साइकिल अभियुक्तगण से बरामद नहीं हुई वह नहीं कह सकता कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को फंसाया गया। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए पीडब्लू-2 के रुप में श्री महेन्द्र पाल सिंह (प्रस्तुत मामले के विवेचक) को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया कि दिनांक 19/20-07-2004 को उसे प्रस्तुत मुकदमे की विवेचना प्राप्त हुई थी। सीडी प्रथम दिनांक 20.07.2004 को किता किया गया। नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर लेखक व पतारसी, सुरागसी माल व मुल्जिमान किया गया। सीडी पर्चा संख्या 2 दिनांक 22.07.2004 को किता किया गया। बयान वादी लिए गए। निरीक्षण घटनास्थल व तमामी साक्ष्य लिया गया। तलाशी वांछित अपराधी की गयी। वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी बनाया गया। सीडी पर्चा संख्या -3 दिनांक 26.07.2004 को किता किया गयाा व सीडी पर्चा संख्या 4 दिनांक 21.08.2004 को किता किया गया।माल मुल्जिमान की काफी तलाश की, बरामद न होने पर अंतिम आख्या संख्या 38/04 प्रेषित की। दिनांक 25.09.2004 की एस.सी.डी 1 किता की जिसमें ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मुकदमे की चोरी की गयी मोटर

साइकिल थाना रजबपुर द्वारा बरामद की गयी। थाने रजबपुर आकर नकल चिक, नकल रपट, बरामदगी फर्द नकल प्राप्त की। एस.सी.डी 2 दिनांक 27.09.2004 को किता कि जिसमें अभियुक्त विजेन्द्र उर्फ बब्लू का प्रोडक्शन वारंट लिया गया। दिनांक 01.10.2004 को एस.सी.डी 3 किता की। अभियुक्तगण परमिन्दर, सतेन्दर व नीरज के नाम प्रकाश में आने पर प्रोडक्शन वारंट लिए गए। एस.सी.डी 4 दिनांक 15.10.2004 को फर्द बरामदगी के गवाहान रघुनंदन सिंह, एस.ओ रजबपुर ओमेन्द्र कुमार त्यागी, का0 सुभाष चंद्र शिव बहादुर सिंह, का0 रविन्द्र सिंह के बयान लिए। निरीक्षण घटना स्थल बरामदगी, ओमेन्द्र कुमार त्यागी की निशानदेही पर किया। मौके पर नक्शानजरी बरामदगी तैयार की। साक्ष्य लिया गया। एस.सी.डी 8 दिनांक 25.10.2004 को अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह, नीरज व सतेन्द्र व परमेन्द्र के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अंतर्गत धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। प्रपत्र ए/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट चिक ब्रजपाल सिंह (का0) के हस्तलेख में है व हस्ताक्षर में है। का0 ब्रजपाल सिंह उसके साथ रहे हैं। उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को वह पहचानता है। का0 ब्रजपाल सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर की वह तस्दीक करता है। चिक पर प्रदर्श क-5 डाला गया। नक्शा नजरी पेज संख्या 9/23, बरामदगी नक्शानजरी, आरोप पत्र पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की वह तस्दीक करता है। घटनास्थल नक्शानजरी (चोरी) पेज संख्या 9/23 पर प्रदर्श क-2 डाला गया। नक्शा नजरी बरामदगी पेज संख्या 5/1 पर प्रदर्श क-3, आरोप पत्र 2/3 पर प्रदर्श क-4 डाला गया। पत्रावली के कागज संख्या 9/25 पर नकल रपट 38/18.10 मिनट मुकदमा कायमी जीडी की कार्बन प्रति है। यह का0 ब्रजपाल सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षरित है। उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर की वह तस्दीक करता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर दिया गया। इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि इस मुकदमे में उसने अंतिम आख्या प्रेषित की थी। माल मुल्जिमान का पता न चलने पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। इस मुकदमे का वादी अर्जुन सिंह है। इस मुकदमे का माल बरामद होने की सूचना टेलीफोन के द्वारा प्राप्त हुई। दिनांक 25.09.2004 को प्राप्त हुई। सूचना थाने के फोन पर प्राप्त हुई थी। सूचना वाले दिन ही वह अपने थाने से बरामदगी वाले थाने को रवाना हो गया था। जीडी में इंद्राज करके गया था। यह कहना सही है कि थाने से रवानगी की असल या नकल जीडी पत्रावली पर नहीं है। उसके द्वारा किसी अभियुक्त से कोई मोटर साइकिल बरामद नहीं की गयी। दौराने विवेचना वह मोटरसाइकिल थाना रजबपुर से अपने थाने पर लाया था। थाना रजबपुर से मोटर साइकिल प्राप्त करते समय इंद्राज जीडी में हुआ था। थाना रजबपुर की जीडी की नकल भी पत्रावली पर नहीं है। उसे मोटर साइकिल का नंबर याद नहीं है जो मोटर साइकिल रजबपुर से प्राप्त की। उसने मोटर साइकिल की शिनाख्त वादी मुकदमा से नहीं करायी थी। नम्बरी माल की शिनाख्त नहीं होती क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भी होता है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर फर्द बरामदगी नहीं है। उसे दौराने मुकदमा पता चला कि मोटर साइकिल संबंधित विजेन्द्र सिंह के घर से बरामद हुई थी। यह बात रजबपुर थाने की जीडी से पता चली। प्रपत्र संख्या 5/1 नक्शा नजरी देखकर कहा कि इस पर किसी गांव, मोहल्ला, स्थान या शहर का नाम नहीं लिखा गया। उसे याद नहीं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम होते समय वह ड्यूटी पर था या नहीं। चिक एफ.आई.आर. पर ड्यूटी ऑफिसर के हस्ताक्षर उसके नहीं है। प्रपत्र संख्या 9/25 कार्बन प्रति पर थाने की मोहर नहीं लगी है। इस प्रपत्र पर सारा मजमून कार्बन प्रति है, लेकिन ऊपर की ओर पहली लाइन अलग से वॉल पैन से लिखी गयी है। इस पर थानाध्यक्षक के या ड्यूटी ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं है। चिक

एफ.आई.आर. व कार्बन प्रति प्रपत्र संख्या 9/25 पर का0 ब्रजपाल सिंह के हस्ताक्षर भिन्न है। विजेन्द्र के अतिरिक्त शेष मुल्जिमान के विरुद्ध आरोप पत्र मुल्जिम के इकबालिया बयान के आधार पर प्रेषित किया गया। यह कहना गलत है कि वह अपने थाने से मोटर साइकिल प्राप्त करने थाना रजबपुर न गया हो और रजबपुर से कोई मोटर साइकिल प्राप्त न की हो। बल्कि बिना किसी साक्ष्य के थाने पर बैठकर फर्जी मुकदमा बनाकर आरोप पत्र प्रेषित किया हो। यह कहना भी गलत है कि सही तफ्तीश न की हो।

इस साक्षी द्वारा यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए चिक प्रदर्श क-5, नक्शानजरी 09/23, बरामदगी नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 तथा विवेचना उपरान्त न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क-4 को साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में का0 ब्रजपाल सिंह के लेख व हस्ताक्षर से परिचित होने तथा उसके लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक किया गया है। वहीं इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण से कोई मोटर साइकिल बरामद नहीं की गयी, उसके द्वारा उक्त मोटर साइकिल को थाना रजबपुर से लाया गया था। मोटर साइकिल का नंबर उसे याद नहीं है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा उक्त बरामद मोटर साइकिल की शिनाख्त वादी मुकदमा से नहीं करायी गयी तथा चिक एफ.आई.आर व कार्बन प्रति प्रपत्र संख्या 9/25 पर का0 ब्रजपाल सिंह के हस्ताक्षर भिन्न होना कहा गया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को चोरी किया गया। इसके अतिरिक्त यह साक्षी अपने साक्ष्य के माध्यम से यह साबित करने में असफल रहा है कि वादी मुकदमा की चोरी की हुई मोटर साइकिल अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुई क्योंकि इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण से कोई मोटर साइकिल बरामद नहीं की गयी और न ही उसके द्वारा उक्त मोटर साइकिल की वादी मुकदमा से शिनाख्त करायी गयी। इस प्रकार यह साक्षी अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए पीडब्लू -3 के रुप में बृजपाल सिंह को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया कि दिनांक 20.07.2004 को मुकदमा अपराध संख्या 574/2004 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता की चिक उसके द्वारा किता की गयी थी। प्रदर्श क-5 को देखकर कहा कि यह उसके हस्तलेख में है तथा इस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक को उसने वही बात बतायी थी जो आज न्यायालय में बतायी है। वहीं इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि उसने तहरीर के आधार पर चिक काटी। थाने में लिखकर दी थी जिसकी उसने चिक काटी थी। तहरीर में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं था, न ही किसी गवाह का नाम था।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं क्योंकि यह एक औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी द्वारा मात्र तहरीर के आधार चिक काटी गयी थी। इस साक्षी द्वारा न तो किसी अभियुक्त को वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को चोरी करते हुए देखा गया और न ही किसी अभियुक्तगण से बरामदगी को साबित किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए पीडब्लू-4 के रुप में जसवंत सिंह (रिटायर्ड एस.सी.पी) को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया

कि दिनांक 25.09.2004 को वह बतौर सहायक लेखक थाना रजबपुर थाना अमरोहा पर नियुक्त था। एस.ओ. श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया थाना रजबपुर दो अभियुक्त से उनकी निशानदेही पर दो मोटर साइकिल जिनमें से एक संबंधित रेलवे स्टेशन मुरादाबाद व एक जी.आर.पी. हरिद्वार से संबंधित थी। दिनांक 25.09.2004 को समय 04.15 ए.एम पर फर्द बरामदगी के आधार पर उसने मुकदमा अपराध संख्या निल/04 धारा 41/102 दंड प्रक्रिया संहिता व 411 भारतीय दंड संहिता संबंधित रेलवे स्टेशन मुरादाबाद व थाना जी.आर.पी. हरिद्वार के संबंध में चिक संख्या 168/04 दिनांक 25.09.2004 समय 04.15 ए.एम पर उसके द्वारा अंकित की गयी। वहीं इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि संबंधित मोटर साइकिलें किस स्थान से व किसके कब्जे से बरामद हुई, उसने नहीं देखा। दरोगा जी ने जो फर्द बरामदगी उसे लाकर दी उसने उसकी नकल की थी।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं क्योंकि यह एक औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि संबंधित मोटर साइकिलें किस स्थान से व किसके कब्जे से बरामद हुई, उसने नहीं देखा। दरोगा जी ने जो फर्द बरामदगी उसे लाकर दी उसने उसकी नकल की थी।

उपर्युक्त परीक्षित साक्षियों के बयानों के पश्चात अब यह देखा जाना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं अथवा नहीं।

उपर्युक्त परीक्षित साक्षी पीडब्लू-1 श्री अर्जुन सिंह द्वारा यद्यपि अपने साक्ष्य के माध्यम से मोटर साइकिल की चोरी के संबंध में दी गयी तहरीर तथा घटना को साबित किया गया है परंतु अपने साक्ष्य में इस बात का कथन किया गया है कि उसने अभियुक्तगण को उसकी मोटर साइकिल को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही वह अभियुक्तगण को जानता है। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि कहीं भी नहीं की गयी है कि उसकी मोटर साइकिल अभियुक्तगण द्वारा ही चोरी की गयी हो या अभियुक्तगण से ही उसकी चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद हुई हो। वहीं पीडब्लू-2 महेन्द्र पाल सिंह (विवेचक) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चिक प्रदर्श क-5, नक्शा नजरी 09/23, बरामदगी नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 तथा आरोप पत्र प्रदर्श क-4 को साबित किया गया है वहीं इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण से वादी मुकदमा की मोटर साइकिल बरामद नहीं की गयी। उसके द्वारा थाना रजबपुर से मोटर साइकिल को अपने थाने लाया गया। उसके द्वारा उक्त मोटर साइकिल की वादी मुकदमा से शिनाख्त नहीं करायी गयी। इस प्रकार यह साक्षी अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित करने में असफल रहा है। वहीं पीडब्लू-3 का0 बृजपाल सिंह व पीडब्लू-4 जसवंत सिंह (सहायक लेखक) औपचारिक गवाह हैं, जिनके द्वारा न तो अभियुक्तगण को वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को चोरी करते हुए देखा गया और न ही बरामदगी की गयी। पीडब्लू-3 का0 बृजपाल सिंह द्वारा वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर एफ.आई.आर. किता की गयी तथा पीडब्लू-4 जसवंत सिंह द्वारा फर्द बरामदगी की नकल की गयी।

अभियुक्तगण का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पर होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **हरेन्दर सरकार बनाम स्टेट ऑफ आसाम ए.आई.आर. 2008 पेज 2467 में** यह निर्धारित किया गया है कि- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधिक सबूत इस स्तर का होना चाहिए कि न्यायालय एक विवेकशील मनुष्य की भांति यह उपधारणा कर सके कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध

कारित किया गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत किसी अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। इस उपधारणा को खंडित करने का दायित्व अभियोजन पर होता है। इसके लिए अभियोजन को इस स्तर का साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है कि जिसके आधार पर उसका कथानक युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित हो जाए अर्थात अभियोजन को अपने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की सत्यता साबित करके अपना कथानक साबित करना होता है। इस अनुक्रम में यदि अभियोजन आंशिक संदेह का स्थान भी छोड़ता है तो इसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी एवं साक्ष्य अभियोजन को इस दायित्व से उन्मोचित कराने में विफल रहे हैं कि घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी थी अथवा अभियुक्तगण से वादी मुकदमा की चोरी की हुई मोटर साइकिल की बरामदगी को साबित किया गया हो। अभियोजन अपने कथानक को सभी संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि पत्रावली पर ऐसा कोई निश्चायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियोजन कथानक की पुष्टि की जा सके।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण विजेन्द्र उर्फ बब्लू व नीरज के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा-379/411 भा0 दं0 सं0 को अभियोजन युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण विजेन्द्र उर्फ बब्लू व नीरज को मु0 अ 0 सं0 574/2004 धारा-379/411 भारतीय दंड संहिता थाना जी0 आर 0 पी0 मुरादाबाद के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं तथा जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामे तथा बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। ।

अभियुक्तगण दं०प्र०सं० की धारा 437A के अनुपालन में निष्पादित जमानतनामा एवं बंधपत्र अपीलीय दशा में अपील अवधि की अवधि में छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

दिनांक-17.09.2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE–UP2109

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-17.09.2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE–UP2109